न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/20
(आरसीएमएस संख्या 2020/00016)

निर्णय दिनांकः 22.09.2023

1. मुखराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी रामबाग तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—02—1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24—02—1984 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 02 डीओ के मुरब्बा नम्बर 122/3 के किला नम्बर 5 में 01 बीघा कमाण्ड, किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 1 ता 4, 6 ता 23 में 22 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनाक 22—02—1984 को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही बतौर मोहरबन्द श्रेणी में आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। लिहाजा ऐसे आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—1984 के विरूद्व अपील दिनांक 09—01—2020 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि मोहरबन्द श्रेणी में आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अपीलांट् अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 6 24—02—1982 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09—01—2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 02 डीओ के मुरब्बा नम्बर 122/3 के किला नम्बर 5 में 01 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 23 में 22 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

(4) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अतत: अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया व न ही अपीलांट को अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित है, तथा आरक्षित भूमि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन श्रेणी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—02—1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 22.9.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया.।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर